समाहरणालय, मधेपुरा
(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर उसके शोक संतप्त परिवार को एक मुश्त 20,000/- रू0 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि बी0पी0एल0 परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु एवं 18-60 वर्ष आयु। इसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा को 37,20,000/- रू0 अर्थात कुल राशि 67,20,000/- रू0 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को 30,00,000/- रू0 उपावंटित कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत किसी भी आय एवं उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में या 18-60 वर्ष के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार /निकटस्थ संबंधी को एक मुश्त रू0 20,000/- की सहायता दी जाती है। इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि दुर्घटना या अपराधिक घटना में मृत्यु तथा दुर्घटना में उम्र का बंधन नहीं, जबकि अपराधिक घटना में 18-64 वर्ष। इसके लिए अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज दोनों को इस मद में 1,20,000/- रू0 अर्थात कुल राशि 2,40,000/- रू0 उपावंटित कर दिया गया है।

बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अन्तर्गत राज्य के Grade-II Deformities के कुष्ठ रोगियों के भोजन आदि हेतु प्रतिमाह रू0 1500/- की दर से सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसके लिए अनिवार्य शर्त है कि Grade-II Deformities का चिकित्सा प्रमाण-पत्र तथा आय एवं उम्र का बंधन नहीं। इस योजना हेतु मधेपुरा प्रखण्ड 81,000/-, घैलाढ़ प्रखण्ड-19,500/-, गम्हरिया-27,000/-, सिंहेश्वर-2,70,000/-, बिहारीगंज-1,20,000/-, ग्वालपाड़ा- 54,000/-, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा-6,000/- रू0 अर्थात कुल- 5,77,500/- रू0 उपावंटित किया गया है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिलान्तर्गत भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के दौरान इससे संबंधित कई मामलें आवंटन के अभाव में लंबित पाया गया। विभाग से आवंटन प्राप्त होते ही दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी /संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को राशि उपरोक्त विवरणी अनुसार उपावंटित कर दी गयी है।

दोनों अनुमण्डल पदाधिकारी /संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अप्रैल, 2016 से अब तक इस योजनान्तर्गत लंबित सभी बकाया राशि का नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें तथा इससे संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा में उपलब्ध करावें, ताकि शेष बकाया राशि का विभाग से अधियाचना किया जा सके।

ह0/-

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।

ज्ञापांक 322-2 /सा0सु0को0, मधेपुरा, दिनांक 22.11.16

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा / संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/11/16

सहायक निदेशक
सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा।